


19.12.2022:-पत्रावली पेशी मे आई। वकील वादी उपस्थित नही  
आयें। वादी एव वादी अधिवक्ता को बार-बार  
आवाज लगाई गई। अवाज लगाने के उपरान्त भी  
असालतन/वकालतन उपस्थित नही आये। वादी  
व वादी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने के  
कारण वादपत्र वादी अदम पैरवी/अदम हाजरी में  
खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की  
जाकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

  
सहायक क्लर्क  
एवं उपखण्डाधिकारी  
इनुमानगढ़